RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 39/2024

अपीलांटगण–

1. स्वरूप कंवर पुत्र स्व. जगमालसिंह जाति राजपुत, निवासी दीपसिंह की ढाणी बाड़मेर आगोर, जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदड़ी
2. श्री पहाड़सिंह पुत्र अर्जूनसिंह
3. श्रीमती वसन कंवर पत्नी रतनसिंह
4. श्री नरेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह
5. श्री ईश्वरसिंह पुत्र रतनसिंह
6. श्री मेवसिंह पुत्र रतनसिंह
7. जसवन्तसिंह पुत्र रतनसिंह जातियान राजपुत, निवासीयान दीपसिंह की ढाणी, बाड़मेर आगोर
8. श्री गुमानसिंह पुत्र आसकरणसिंह
9. श्री छैलेन्द्रसिंह पुत्र वीरसिंह
10. श्री जसवन्तसिंह पुत्र वीरसिंह
11. श्रीमती पवन कंवर पत्नी वीरसिंह
12. श्री जेठमालसिंह पुत्र देवीसिंह
13. श्री दलपतसिंह पुत्र मुकनसिंह
14. श्री रूगसिंह पुत्र मुकनसिंह
15. श्री मनोहरसिंह पुत्र चुतरसिंह
16. सुरेन्द्रसिंह पुत्र चुतरसिंह
17. श्रीमती सुरजकंवर पत्नी चुतरसिंह जातियान राजपूत, निवासीयान बाड़मेर आगोर, जिला बाड़मेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 660 दिनांक 03.11.2021 जो तहसीलदार समदड़ी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सवाईसिंह राठौड़, अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंटगण संख्या 2 ता 17 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

जिला कलक्टर
बालोतरा

निर्णय

दिनांक : 12.11.2024

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत मौजा बालू, पटवार मण्डल राखी, तहसील समदड़ी खेत खसरा नंबर 122/3 रकबा 100 बीघा (नया खसरा नंबर 274/122 रकबा 16.1874 हेक्टेयर) तहसील समदड़ी के नामान्तरकरण सं. 660 पर तहसीलदार समदड़ी द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 03.11.2021 के विरूद्ध दिनांक 14.08.2024 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा बालू, पटवार मण्डल राखी, तहसील समदड़ी खेत खसरा नंबर 122/3 रकबा 100 बीघा (नया खसरा नंबर 274/122 रकबा 16.1874 हेक्टेयर) विस्वा अवस्थित है। उक्त खसरान भूमि सरहद बालू, पटवार हल्का राखी का प्रशानस गांवों के संग अभियान 2021 में अर्जुनसिंह दिनांक 16.11.2005 एवं रतनसिंह के दिनांक 25.11.2018 को फौत उपरांत वारिसान के शपथ पत्र के आधार पर हल्का पटवारी राखी द्वारा नामान्तरणकरण खोला गया व तहसीलदार समदड़ी द्वारा दिनांक 03.11.2021 को नामान्तरणकरण संख्या 660 को स्वीकृत किया गया। तहसीलदार समदड़ी द्वारा पारित आदेश 03.11.2021 के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया हैं।

3. अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं आलोच्य अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. रेस्पोडेंटगण संख्या 2 ता 17 को जारी नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तामील नोटिस प्राप्त हुए, लिहाजा रेस्पोडेंटगण संख्या 2 ता 17 की तलबी पूर्ण। रेस्पोडेंटगण बावजूद सूचना दौराने बहस/सुनवाई अनुपस्थित रहे।

5. अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस एवं लिखित बहस यह कथन किया कि उक्त विवादित भूमि मौजा बालू, पटवार मण्डल राखी, तहसील समदड़ी में जिनका खसरा नंबर 122/3 रकबा 100 बीघा (नया खसरा नंबर 274/122 रकबा 16.1874 हेक्टेयर) आया हुआ है। अपीलांट के परदादाजी स्व परबतसिंह वल्द कलसिंह का 1/5 हिससा खातेदारी में बनता था। उक्त खसरान भूमि परबतसिंह पुत्र कलसिंह, देवीसिंह पुत्र नीम्बसिंह, दलपतसिंह पुत्र मुकनसिंह, रूगसिंह पुत्र मुकनसिंह व मु. लेरकंवर बेवा रावतसिंह की संयुक्त खातेदारी थी।

जिला कलक्टर
बालोतरा

अपीलांट व रेस्पोडेंटगण संख्या 2 से 7 परबतसिंह वल्द कलसिंह के वशंज है। अपीलांट के परदादाजी परबतसिंह के फौत होने पर अपीलाधीन बाराजी उनके पुत्र तथा अपीलांट के दादाजी अर्जूनसिंह के नाम दर्ज की गई थी। अपीलांट के पिताजी जगमालसिंह का स्वर्गवास अपीलांट के दादाजी के जीवनकाल में ही दिनांक 03.10.1998 को हो गया था। अपीलांट के पिताजी के फौत के समय अपीलांट नाबालिग थी। अपीलांट के दादाजी अर्जुनसिंह फौत दिनांक 16.11.2006 को होने पर उनकी फौतगी का नामान्तरकरण संख्या 660 दिनांक 03.11.2021 को उनके पुत्रों रतनसिंह, पहाड़सिंह के साथ साथ अपीलांट के नाम से भी स्वीकृत करना चाहिए था, लेकिन पटवारी हल्का व रेस्पोडेंट सख्या 01 ने जानबुझकर नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय अपीलांट का नाम अंकित नहीं किया। तहसीलदार समदड़ी ने अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भारी भूल की है। अपीलांट अर्जुनसिंह की पोती तथा जगमालसिंह की एकमात्र जायन्दा पुत्री होने के कारण अर्जुनसिंह की प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी है, जिसका हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 माफिक पैतृक सम्पति में रतनसिंह व पहाड़सियं के बराबर हिस्स बनता है, लेकिन जानबुझकर अपीलांट का नाम अर्जुनसिंह की फौतगी के नामान्तरकरण में अंकित नहीं किया गया। नामान्तरकरण आदेश पारित करने से पूर्व कोई पत्रावली कायम नहीं की गई व न ही नाबालिग अपीलकर्ता को किसी प्रकार की सूचना दी गई एवं न ही मृतक अर्जुनसिंह के वारिसान बाबत उचित जांच की गई। अपीलांट के पिताजी जगमालसिंह पुलिस महकमे में कार्यरत थे तथा अपीलांट के पिताजी की फौतगी के बाद मिलने वाले सरकारी लाभों यथा ग्रेच्युटी, बीमा राशि, वेतन, पेंशन आदि प्राप्त करने के लिए अपीलांट के दादाजी अर्नुनसिंह द्वारा अदालत श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश बाड़मेर की अदालत में स्वयं को नाबालिग अपीलांट का संरक्षक नियुक्त करने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जिसमें बाद सम्पूर्ण सुनवाई के दिनांक 04.12.2000 को निणर्य व डिक्री जारी की, जिसमें अपीलांट के दादाजी को नाबालिग अपीलांट का संरक्षक नियुक्त किया गया था। जिसे अपीलांट स्वयं अर्जुनसिंह की वारिसान/पोती होना प्रमाणित होता है। वादग्रस्त खसरा की भूमि पर अपीलकर्ता का अपने दादाजी के 1/5 हिस्से की जमीन में से अपने 1/3 हिस्सा की जमीन पर लगातार कब्जा काश्त है। उक्त आलोच्य म्युटेशन पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई, इस हेतु उक्त आलोच्य म्युटेशन का कोई ज्ञान नहीं था। अपीलांट को उक्त आलोच्य म्युटेशन की जानकारी दिनांक 07.08.2024 को सर्वप्रथम हुई। अतः अपीलांट को उक्त आलोच्य म्युटेशन भरने पर किसी भी प्रकार नोटिस या सूचना नहीं देने के कारण,

जिला कलक्टर
बालोतरा

सुनवाई का अभाव होने के कारण एवं अपीलांट को हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 से वंछित करने पर आपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 660 दिनांक 03.11.2021 को तहसीलदार समदड़ी द्वारा पारित किया गया है, को निरस्त फरमाया जावे।

6. हमने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि वर्तमान प्रकरण में विवादित म्युटेशन संख्या 660 जो खेत खसरा नंबर 122/3 रकबा 100 बीघा (नया खसरा नंबर 274/122 रकबा 16.1874 हेक्टेयर) भूमि सरहद मौजा बालू, पटवार मण्डल राखी का खातेदार अर्जुनसिंह एवं रतनसिंह के फौत होने पर प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में हल्का पटवारी राखी द्वारा नामान्तरणकरण खोलना बताया, जिसे अधीनस्थ तहसीलदार समदड़ी द्वारा दिनांक 03.11.2021 को स्वीकृत करना बताया है। प्रथम दृष्टया सजरा एवं अपीलांट स्वरूप कंवर के दस्तावेज से अपीलांट का हक होना प्रतीत होता है। साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी पैतृक संपति में पुत्रियों का हिस्सा होना स्पष्ट किया गया है, जिसे उक्त आलोच्य म्युटेशन यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार समदड़ी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि उक्त आलोच्य म्युटेशन के समस्त पक्षकरों की जांच कर ले एवं नियमानुसार यदि अपीलांट स्वरूप कंवर का हिस्सा बनना पाया जाता है, तो पक्षकारो को सुनवाई का अवसर देते हुए नवीन म्युटेशन दर्ज करने की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 12.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
जिला कलक्टर, बालोतरा
जिला कलक्टर
बालोतरा